भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 617

गुरूवार, 23 जुलाई, 2026/1 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

डिजिटल पर्यटन, सुरक्षा और क्षेत्रगत सुधार

617 श्री एस. सेल्वागनबेथी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सेवा प्रदायगी और पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग डेटाबेस (निधि+) और बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन जैसी डिजिटल पहलों को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) पर्यटक पुलिस तैनात करने और विशेष रूप से महिला यात्रियों की सुरक्षा में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने पर्यटन और आतिथ्य को "उद्योग का दर्जा" देने के बारे में राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और उस पर क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(घ) ई-वीज़ा के विस्तार और जीएसटी युक्तिकरण जैसे सुधारों ने पर्यटकों की संख्या और अन्य गंतव्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मकता पर क्या असर डाला है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): पर्यटन मंत्रालय ने अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, आवास इकाइयों के वर्गीकरण तथा पर्यटन सेवाप्रदाताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त करने, उसके ऊपर कार्रवाई करने और स्वीकृतियाँ प्रदान करने/सूचना देने हेतु एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। आवेदन राष्ट्रीय एकीकृत आतिथ्य उद्योग डेटाबेस (निधि+) पोर्टल अर्थात nidhi.tourism.gov.in पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को भुगतान गेटवे के साथ भी जोड़ा गया है।

इसके अतिरिक्त, बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन सहायता प्रदान करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने मौजूदा प्रणाली को उन्नत करने हेतु तकनीक-आधारित समाधानों सहित अन्य आवश्यक कदम उठाए हैं।

(ख): पर्यटकों की सुरक्षा और हिफाज़त राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आती है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के लिए जमीनी स्तर पर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु समर्पित

पर्यटक पुलिस की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ लगातार इस मामले को उठाता रहा है। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों, अर्थात् तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।

राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के पास उन परियोजनाओं के लिए निर्भया निधि के अंतर्गत 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन गंतव्य' के लाभ प्राप्त करने का प्रावधान है, जिन्हें विशेष रूप से महिला पर्यटकों की सुरक्षा और हिफाज़त में सुधार के लिए तैयार किया गया है।

(ग): जी हाँ। पर्यटन मंत्रालय ने सितंबर, 2024 में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने से संबंधित एक हैंडबुक जारी की। इसे राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को उनकी उद्योग/पर्यटन नीति में संयोजन के लिए परिचालित किया गया है। वर्तमान में, कई राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है।

(घ): ई-वीज़ा विदेशियों के बीच बहुत लोकप्रिय हो चुका है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में जारी किए गए ई-वीज़ा की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान में ई-वीज़ा की चौदह उप-श्रेणियाँ हैं और यह अब 174 देशों के नागरिकों के लिए 33 नामित हवाई अड्डों, 35 नामित समुद्री बंदरगाहों और 04 भूमि पत्तनों के माध्यम से प्रवेश के लिए उपलब्ध है।

सरकार ने दिनांक 22.09.2025 से व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों, जिसमें आतिथ्य क्षेत्र भी शामिल है, में महत्वपूर्ण दर कटौती के साथ एक सरलीकृत जीएसटी संरचना लागू की।

जीएसटी सुधारों की मुख्य विशेषताएँ, जो पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, निम्नलिखित रूप में सूचीबद्ध हैं:

(i) 7,500 रु. प्रति दिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% (बिना आईटीसी के) कर दिया गया है।
(ii) 10 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाली बसों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
(iii) कला और सांस्कृतिक वस्तुओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे कारीगरों और मूर्तिकारों को प्रत्यक्ष सहायता मिल रही है।
(iv) टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, खाद्य और संबंधित वस्तुएं: अधिकांश खाद्य और संबंधित उपभोग्य वस्तुओं पर अब जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है या कुछ पर शून्य जीएसटी है। इसी प्रकार, आतिथ्य क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली कई वस्तुओं जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी आदि पर भी जीएसटी में कमी की गई है, जिससे परिचालन लागत और पूंजीगत व्यय में कमी के साथ इस क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
